बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

सिविल अपील वाद संख्या–1635/2013 जगदीश प्रसाद सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 08.08.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में स्व0 जगदीश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त पणन पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को वेतनमान 5500–9000 के स्थान पर 6500–10500 में वेतन का निर्धारण करते हुए पुनरीक्षित वेतन, पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभ प्रदान किये जाने एवं खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक 15.04.2009 को निर्गत पत्र के आलोक में अतिरिक्त राशि (₹63,765/–) की वसूली नहीं किये जाने के संबंध में आदेशित किया गया।

सिविल अपील वाद संख्या–1635/2013 में दिनांक 08.08.2024 को पारित न्यायादेश की कार्यकारी कंडिका निम्नवत है :–

कंडिका–27– "The order dated 8th October, 2009 passed by the State Government directing reduction in the pay scale of the appellant from Rs. 6500-10500 to Rs. 5500-9000 w.e.f. 1st January, 1996 and directing recovery of the excess amount from him is grossly illegal and arbitary and is hereby quashed and set aside. The impugned order dated 27th August, 2012 passed by the Division Bench of the High Court does not stand to scrutiny and is hereby quashed. Therefore, the appellant shall continue to receive the pension in accordance with the pay scale of Rs. 6500-10500."

कंडिका–28– "In case, if any reduction in pension and consequential recovery was effected on account of the impugned orders, the appellant shall be entitled to the restoration/reimbursement thereof with interest as applicable."

विदित हो कि संदर्भित मामलें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श की कंडिका–06, 07 एवं 08 में अंकित मुख्य परामर्श निम्नवत् हैः–

कंडिका–06–संचिका में रक्षित सेवापुस्त से ज्ञात होता है कि स्व0 श्री सिंह को उनके सेवा काल में कालबद्ध प्रोन्नति मात्र प्रदान की गई है, न कि प्रवर कोटि अथवा पणन पदाधिकारी के पद पर नियमित प्रोन्नति प्रदान की गई है। स्पष्टतः ये मूल कोटि के ही कर्मी रहे हैं। कालबद्ध प्रोन्नति, प्रवर कोटि/नियमित प्रोन्नति से भिन्न मात्र वेतनमान का उन्नयन है। ण्0 कोटि के पद आपूर्ति निरीक्षक के लिए स्वीकृत वेतनमान रू0 5000–8000 अनुमान्य होना चाहिए। तत्पश्चात आवश्यकता आधारित पदों को चिन्हित करते हुए प्रोन्नति के पद सोपान में उच्चतर वेतनमान का लाभ अनुमान्य हो सकता है। प्रश्नगत कर्मी के मामले में यह कार्रवाई की गयी है अथवा नहीं यह संचिका से ज्ञात नहीं हो रहा है।

कंडिका–07–उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामलें में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश है कि इन्हें रू0 6500–10500 का लाभ दिया जाना चाहिए एवं कोई वसूली की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

कंडिका–08–ऐसी स्थिति में रू0 6500–10500 का वेतन लाभ, इसके आधार पर सेवांत लाभ एवं वसूली की कार्रवाई पर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त कर प्रशासी विभाग द्वारा तद्नुसार विधि सम्मत् कार्रवाई की जानी चाहिए।

तदालोक में विधि विभाग, बिहार का परामर्श प्राप्त किया गया, जो निम्नवत है –

"Supreme Court is supreme. None has right to question correctness of Supreme Court's order. Para 27 of S.C. Judgement specifically direct that the appellant shall be entitled to continue to service the pension in accordance with the pay scale of Rs. 6500-10500/- direction be complied and quites be given to this matter".

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विधि विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त परामर्श के अनुपालन के आलोक में प्रस्तुत मामले को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1093 दिनांक 20.11.2018 में वर्णित प्रावधानों के तहत मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सिविल अपील वाद सं0–1635/2013 जगदीश प्रसाद सिंह एवं अन्य में दिनांक 08.08.2024 को पारित आदेश के आलोक में स्व0 जगदीश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त पणन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को वेतनमान 5500–9000 के स्थान पर 6500–10500 में वेतन का निर्धारण करते हुए पुनरीक्षित वेतन, पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभ प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः सिविल अपील वाद सं0–1635/2013 जगदीश प्रसाद सिंह एवं अन्य में दिनांक 08.08.2024 को पारित आदेश के आलोक में स्व0 जगदीश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त पणन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को वेतनमान 5500–9000 के स्थान पर 6500–10500 में वेतन का निर्धारण करते हुए पुनरीक्षित वेतन, पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभ प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाता है।

02. समादेश याचिका संख्या–1412/2025 राम सेवक सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 27.01.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में वादी श्री राम सेवक सिंह द्वारा प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया। उक्त न्यायादेश में समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा कर आदेश पारित करने हेतु निदेशित किया गया है। तदालोक में दिनांक 11.04.2025 को प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में आहूत सुनवाई की गई, जिसमें श्री सिंह को वेतनमान 5500–9000 के स्थान पर 6500–10,500 में वेतनस्तर का लाभ प्रदान किये जाने हेतु वित्त विभागीय परामर्श प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया।

विदित हो कि वादी श्री राम सेवक सिंह द्वारा सिविल अपील वाद सं0–1635/2013 जगदीश प्रसाद सिंह एवं अन्य में दिनांक 08.08.2024 को पारित आदेश के आलोक में वादी श्री राम सेवक सिंह को भी समरूप लाभ प्रदान करने के निमित्त समादेश याचिका संख्या–1412/2025 दायर किया गया है।

चूँकि श्री राम सेवक सिंह द्वारा सिविल अपील वाद सं0–1635/2013 जगदीश प्रसाद सिंह एवं अन्य में दिनांक 08.08.2024 को पारित आदेश के अनुपालनार्थ वादी श्री राम सेवक सिंह द्वारा दायर समादेश याचिका संख्या–1412/2025 में दिनांक 27.01.2025 को पारित आदेश के आलोक में प्रस्तुत मामले को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1093 दिनांक 20.11.2018 में वर्णित प्रावधानों के तहत मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री राम सेवक सिंह, सेवानिवृत्त पणन पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना को भी स्व0 जगदीश प्रसाद सिंह के समरूप मामला होने के कारण वेतनमान 5500–9000 के स्थान पर 6500–10500 में वेतन का निर्धारण करते हुए पुनरीक्षित वेतन, पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभ प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः समादेश याचिका संख्या–1412/2025 में दिनांक 27.01.2025 को पारित आदेश के आलोक में श्री राम सेवक सिंह, सेवानिवृत्त पणन पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना को भी स्व0 जगदीश प्रसाद सिंह के समरूप मामला होने के कारण वेतनमान 5500–9000 के स्थान पर 6500–10500 में वेतन का निर्धारण करते हुए पुनरीक्षित वेतन, पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभ प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाता है।

03. समादेश याचिका संख्या–1412/2025 राम सेवक सिंह एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 27.01.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में वादी श्री भोला प्रसाद सिंह द्वारा प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया। उक्त न्यायादेश में समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा कर आदेश पारित करने हेतु निदेशित किया गया है। तदालोक में दिनांक 26.05.2025 को प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में आहूत सुनवाई की गई, जिसमें श्री सिंह को वेतनमान 5500–9000 के स्थान पर 6500–10,500 में वेतनस्तर का लाभ प्रदान किये जाने हेतु वित्त विभागीय परामर्श प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया।

Nasim

विदित हो कि वादी श्री भोला प्रसाद सिंह द्वारा सिविल अपील वाद सं0—1635/2013 जगदीश प्रसाद सिंह एवं अन्य में दिनांक 08.08.2024 को पारित आदेश के आलोक में वादी श्री भोला प्रसाद सिंह को भी समरूप लाभ प्रदान करने के निमित्त समादेश याचिका संख्या—1412/2025 दायर किया गया है।

चूँकि सिविल अपील वाद सं0—1635/2013 जगदीश प्रसाद सिंह एवं अन्य में दिनांक 08.08.2024 को पारित आदेश के अनुपालनार्थ वादी श्री भोला प्रसाद सिंह द्वारा दायर समादेश याचिका संख्या—1412/2025 में दिनांक 27.01.2025 को पारित आदेश के आलोक में प्रस्तुत मामले को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या—1093 दिनांक 20.11.2018 में वर्णित प्रावधानों के तहत मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखा गया। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री भोला प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त पणन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को भी स्व0 जगदीश प्रसाद सिंह के समरूप मामला होने के कारण वेतनमान 5500—9000 के स्थान पर 6500—10500 में वेतन का निर्धारण करते हुए पुनरीक्षित वेतन, पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभ प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः समादेश याचिका संख्या—1412/2025 में दिनांक 27.01.2025 को पारित आदेश के आलोक में श्री भोला प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त पणन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को भी स्व0 जगदीश प्रसाद सिंह के समरूप मामला होने के कारण वेतनमान 5500—9000 के स्थान पर 6500—10500 में वेतन का निर्धारण करते हुए पुनरीक्षित वेतन, पेंशन एवं अन्य सेवांत लाभ प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाता है।

04. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

27/11/25

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—प्र03 (मु0)—08/2025 3273 खाद्य, पटना/दिनांक 27-11-2025

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, बिहार/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं पटना/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

27/11/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—प्र03 (मु0)—08/2025 3273 खाद्य, पटना/दिनांक 27-11-2025

प्रतिलिपिः—जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/11/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—प्र03 (मु0)—08/2025 3273 खाद्य, पटना/दिनांक 27-11-2025

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—01 को निदेशित किया जाता है कि आदेश के अनुपालन करने की दिशा में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

27/11/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

Nasim

ज्ञापांक—प्र03 (मु0)—08 / 2025 खाद्य, पटना / दिनांक

प्रतिलिपिः— श्रीमती राजकुमारी देवी (पति—स्व0 जगदीश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त पणन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर), पता— मोहल्ला—दाउदपुर कोठी, वार्ड नं0—12, पोस्ट—एम0आई0टी0, थाना—ब्रह्मपुरा, जिला—मुजफ्फरपुर—842003, मोबाईल नं0—9801655995 / श्री राम सेवक सिंह (सेवानिवृत्त पणन पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना), पता——105, अतुल गुलजार अपार्टमेन्ट, टेलीग्राफ कॉलोनी, किदवईपुरी पटना—800001 एवं श्री भोला प्रसाद सिंह (सेवानिवृत्त पणन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर), पता— दाउदपुर कोठी, लक्ष्मी चौक, पोस्ट—एम0आई0टी0, थाना—ब्रह्मपुर, जिला— मुजफ्फरपुर, पिन—843107 को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक—प्र03 (मु0)—08 / 2025 खाद्य, पटना / दिनांक

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

Nasim